<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 50 / 2020

बउनवान

रामसिंह पुत्र मोहन जाति मीना निवासी नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 11.02.2020</u>

अपीलांट द्वारा अपील जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 221 / 2019 मे अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम नानूखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 348 / 381 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 50 / – रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 7.2.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। जिसके प्राप्त होने पर, प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित किया गया है। उक्त सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है, तावान राशि भी जमा करवा दी गई है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर बिना पी–14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोष मुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के मिसल नम्बर 304/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 12.10.2018 से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 मे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 221/2019 में अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की (90 दिन) की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 348/381 की रकबा 1 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 221/2019 मे पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.03.04 12:14:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: